

Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत : उपखण्ड अधिकारी

मुकाम : रावतभाटा

मोहनलाल

बनाम : श्रीधारी लाल

मुकदमा : वाद-पत्र

नं० : 86/17

सन्

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम जा
---------------	-----------------------------------	----------------------

02/03/2023
पत्रावली पैशा हुई। उभयपक्षकारान उपस्थित।
पत्रावली में वदस सुने एकमाह से अधिक
समय हो जाने से पत्रावली में पुनः वदस सुनी गयी।
पत्रावली में शामिल दस्तावेजों व वाद-पत्र का
अवलोकन किया गया। वकील वदी की वदस पर
मन्ज किया। वकील वदी द्वारा वदस के दौरान
की गई दलीलों से हम संतुष्ट हैं। वदी का वाद-
पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः वदी
का वाद स्वीकार कर वाद-पत्र का निर्णय
पृथक से लिखाया जाकर खुले न्यायालय की
इजलास में सुनाया गया। पत्रावली फैसल
शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर शामिल
दफ्तर हों।

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)